


मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल "सी" विंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23.04.10

:: आदेश ::


क्र./ 4000 / एनआरईजीएस-म.प्र./स्था0/एनआर-2/2010 :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. अंतर्गत संविदा पर पदस्थ महिला अधिकारी/कर्मचारियों को आदेश जारी दिनांक से सवैतनिक 90 दिवस के मातृत्व अवकाश की पात्रता होगी।


(रश्मि अरुण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ.क्र./ 4000 / एनआरईजीएस-म.प्र./स्था0/एनआर-2/10,
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 23.04.10

1. संभागायुक्त, समस्त की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, (SIRD) आधारताल, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्राचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल